संख्या :I/270239/XXVII(7)/2022–E-39427/2025

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 06 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2025

विषयः–समयमान वेतनमान / ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति / अनुमन्यता के संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समयमान वेतनमान / ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 की अनुमन्यता / स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रकिया के संबंध में वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07 के शासनादेश संख्या–65 / XXVII(7)/18-50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निर्गत स्पष्टीकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2019 की तालिका के बिन्दु संख्या–01 'नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरोन्नयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं ?' के स्पष्टीकरण के अंतिम प्रस्तर में निम्नवत संशोधन किया जाता है:–

वर्तमान में उपबंधित व्यवस्था	प्रतिस्थापित / संशोधित व्यवस्था
...उक्त से स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान / ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के अंतर्गत लाभ की अनुमन्यता हेतु निर्धारित सेवा अवधि की गणना संबंधित कार्मिक के नियमित नियुक्ति की तिथि से ही की जाए। इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन कार्यप्रभारित , सीजनल, तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं को गणना में नहीं लिया जाएगा। किसी स्थाई / अस्थाई सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें गणना में ली जायेंगी। अर्थात दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान	...उक्त से स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के अंतर्गत लाभ की अनुमन्यता हेतु निर्धारित सेवा अवधि की गणना संबंधित कार्मिक के नियमित नियुक्ति की तिथि से ही की जाए। इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन, कार्यप्रभारित, सीजनल, तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं को गणना में नहीं लिया जाएगा। किसी स्थाई / अस्थाई सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें मूल पद के सापेक्ष गणना में ली जायेंगी अर्थात दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान वेतनमान / ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 हेतु गणना में ली जायेंगी"। उक्त के अतिरिक्त उच्चतर पद पर तदर्थ

वेतनमान/ ए0सी0पी0/एम0ए0सी0 पी0 हेतु गणना में ली जायेंगी।	अथवा स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद के वेतनमान में कार्य करते हुए उसी पद पर पदोन्नति होने की स्थिति में एक ही वेतनमान/ग्रेड पे/वेतन लेवल में कार्यरत रहने के दृष्टिगत तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें उच्चतर पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान/ ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 हेतु गणना में भी ली जायेंगी।

भवदीय

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 23-01-2025 14:56:56
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

1/270239/2025

संख्या : /XXVII(7)/22-E-39427/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त, मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by
Ganga Prasad
Date: 23-01-2025 18:49:31
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।